तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
03.7.23	वकील वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 15 के वकील उपस्थित। प्रार्थी चन्दूकंवर उर्फ चन्द्रकला के वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हैं। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र बहस दिनांक 18.7.2023 को पेश हो।
18.7.2023	वकील वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 15 के वकील उपस्थित। प्रार्थी चन्दूकंवर उर्फ चन्द्रकला के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी अनुपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 11 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी संख्या 15 की बहस है, कि वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। क्योंकि वादी संख्या 01 व वादीनी संख्या 02 की माता प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 15 की पत्नि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के दिनांक 11.7.2022 को कर दिया गया और वादीगण स्वयं उक्त बेचान करने के उपरान्त भी उक्त बेचान तथ्यों को छुपाते हुए उक्त वाद पेश किया गया, जो विधि में वर्जित होने के कारण यह [illegible] योग्य है। अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए तर्क दिया कि उक्त बेचान पत्र से पूर्व

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

हुक्म या कार्यवाही मय इतिफाशुल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रूमीसिंह के पक्ष में आम मुख्तारनामा को निष्पादित किया गया था, जो नोटेरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किया गया था। जिसमें वादिनी संख्या 01 द्वारा दायर की गई थी। उसके अवधि की वादीगण द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए यह वाद पेश किया गया है। जो चलने योग्य नहीं है। तथा वादी द्वारा न्यायालय को जान बूझकर पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। जबकि केवल का विवादित भूमि में हक हकूक पैदा हो गए हैं, इसलिए कपटपूर्ण वादीगण द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। विधि का सुस्थापित नियम है कि उत्तराधिकारी (बेटी) के जीवित रहते हुए सिविल शेखी के वारिस हक मांग नहीं सकते हैं, लेकिन वादीगण सिविल सेवी को वारिसान होने के आधार भी वाद पेश किया है। जो कि खारिज योग्य है। अतः वादीगण का वाद विधि से बाधित होने के कारण खारिज फरमाया जावें।	
इसके विपरीत वकील वादीगण की बहस है, कि प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। क्योंकि वादीगण का विवादित भूमि में हक हकूक जीवित है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि रूमीसिंह की संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। रूमीसिंह के फौत होने पर वादिनी संख्या 01 की माता किशनकंवर व भाती राजकंवर व वादी ओमाराम महेन्द्रसिंह के नाम नामान्तरकरण भरा गया। प्रतिवादी संख्या 15 ने जो उनार के विवादित भूमि	

चारणी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	अहलकार की तामील
	को हड़प करना चाहते हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में कोई मुख्तारनामा निष्पादित नहीं करवाया गया। वादीगण का मालिकाना बराबर मौके पर कब्जा-काश्त चला आ रहा है। वादिनी संख्या 02 का विवाहित भूमि के रेकर्ड में नाम नहीं होने का गलत फायदा उठाते हुए प्रतिवादी संख्या 15 मुख्तार- शुदा भूमि से बेदखल करने पर आमादा है अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और तर्क किया कि प्रार्थना पत्र O.7, R.11 पत्र में ऐसा कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं है कि वादपत्र विधि से वर्जित है। जबकि पैतृक कृषि में वादीनी का हक हकूक निहित होने के कारण खातेदारी घोषणा, कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है उक्त कारण प्रतिवादी की प्रार्थना पत्र खारिज होने के काबिल खारिज फरमाई जावे। हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे पाया कि वादपत्र में उल्लेखित खातेदारी भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा, कब्जा व स्थाई निषेधाज्ञा की मुख्य इल्तजाएं चाही गई है। जबकि पत्रावली के संलग्न मुख्तारनामा खास (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) की प्रति के अवलोकन से पाया कि वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने प्रतिवादी संख्या 15 दलीपसिंह के पक्ष में	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

136/2022

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियाल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वादग्रस्त भूमि के संबंध में पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गई, जो नोटरी पब्लिक द्वारा दिनांक 08.7.2022 को अनुप्रमाणित कर रखी है। जबकि ज्ञात रहे चन्द्रकला ठाकुर पुत्री हमीरसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र O-1, R-10 CPC बाबत पक्षकार बनाने का पेश किया गया है, ज्ञात भी है। इसके अलावा वादीनी संख्या 02 शोभाकुमारी पुत्री शंकरसिंह द्वारा भी ज्ञात दे रखी है। पॉवर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित होने के बाद वादी संख्या 01 व प्रतिवादी संख्या 01 की वादग्रस्त भूमि में हक हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 15 हमीरसिंह द्वारा जरिये आम मुख्त्यारनामा के आधार पर अपने हक में पाते हमीरसिंह को दो अलग-2 बेचान पत्र के बेचान कर दी गई, जो उप पंजीयक कल्याणपुर द्वारा दिनांक 11.7.22 को पंजीबद्ध की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में आम मुख्त्यारनामा व बेचान वादीगण की जानकारी में हुए है और क्रेता को विवादित भूमि में कब्जा भी नहीं बताया गया। जब वादी संख्या 01 द्वारा ही प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी गई, जिसके साक्षी वादीनी संख्या 02 द्वारा दे रखी है, तो यह माना ही नहीं जा सकता है, कि वादीगण को वादग्रस्त भूमि को बेचान की जानकारी नहीं हो। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद में इन तथ्यों को छुपाया गया है जो कि वादीगण का	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज
	वाद विधि के वर्जित है ऐसी सूरत में वादीगण का वाद खारिज योग्य है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 15 की जानिब से O.7, R-11 CPC स्वीकार की जाकर वादीगण का वाद विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। रिकॉर्ड पर्चा जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली केसरसिंह बगैर होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा